successful completion of the feasibility study.

सौराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने वाले राज्य के राजमार्गों की संख्या और उनकी लम्बाई

912. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौराष्ट्र से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने वाले राज्य के राजमार्गों की संख्या और उनकी लम्बाई कितनी-कितनी है;

(ख) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई की तुलना में उपर्युक्त राज्य के राजमार्गों की प्रतिशत लम्बाई कितनी है; और

(ग) सौराष्ट्र क्षेत्र में विभिन्न राज्य के राजमार्गों पर किये जा रहे विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० राजशेखर मूर्ति): (क) 36 राज्यीय राजमार्ग जिनकी कुल लम्बाई 3428 कि०मी० है, सौराष्ट्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ते हैं।

(ख) 10 प्रतिशत।

(ग) सांविधानिक रूप से भारत सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के निर्माण/विकास एवं रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों अर्थात् राज्यीय राजमार्गों आदि के निर्माण/विकास और रख-रखाव संबंधित राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र में आता है और उसने सूचित किया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में 2476.29 लाख रु० की लागत की लगभग 671.10 कि०मी० लम्बे राज्यीय राजमार्गों के सुधार की स्कीमें चल रही हैं।

गुजरात में तेल के खोज-कार्य में लगी एजेन्सियां

913. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस के नए स्रोतों के खोज कार्य में लगी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह खोज कार्य किन-किन स्थानों पर चल रहा है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) अब तक किये गये खोज कार्यों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) प्रस्तावित परियोजना को लागू किय जाने से इस राज्य की प्राकृतिक गैस की मांग को किस हद तक पूरा किया जा सकेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) गत तीन वर्षों (1992-93 से 1994-95) के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड गुजरात राज्य में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण में लगा हुआ था।

(ख) फिलहाल गुजरात राज्य के कंबेल-बेचराजी-विठलपुर, नवगांव-बरेजा, असजोल-जोटाना-सोभासान, बालिसान, अक्षरधाम, गांधीनगर, गंधार-परवाजन, उत्तरी कादी, मनसा, मींच-नंदासन-लंघनाज, मेवाड़, पलियाड़, लिम्बोदरा, अहमदाबाद-अलोटर्स-नंदेज, कलोज, विरज, गमीज, सानंद, नादा तथा पदरा क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य (भूकंपी सर्वेक्षण तथा अन्वेषण वेधन) चल रहा है।

इसके अतिरिक्त आर जे-ओ एन-90/1 नामक एक ब्लाक, जो अंशतः गुजरात राज्य में पड़ता है, के लिए संविदा पर मई, 1995 में हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) गत तीन वर्षों (1992-93 से 1994-95) के दौरान गुजरात राज्य में अन्वेषण पर ओ एन जी सी द्वारा निम्नलिखित व्यय का वहन किया गया है:

(करोड़ रुपए)

	1992-93	1993-94	1994-95
अन्वेक्षण सर्वेक्षण	39.96	41.70	42.07
वेधन	246,02	136.73	183.17
कुल:	285.98	178.43	225.24

(घ) गुजरात राज्य में अब तक किए गए अन्वेषण कार्य के परिणामस्वरूप 78 क्षेत्र संरचनाएं हाइड्रोकार्बन युक्त सिद्ध हुई है तथा 1.4.95 की स्थिति के अनुसार 1108.94 मि०मी०टन तेल एवं गैस के समतुल्य तेल (ओ०+ओ०ई०जी०) का आरंभिक स्थलगत भंडार स्थापित हुआ।

(ङ) गुजरात के विद्यमान तथा नये गैस क्षेत्रों से गैस की उपलब्धता को 1998-99 तक बढ़ाकर 10.05 एम एम एस सी एम डी करने की योजना है।

Augmenting the Central Road Fund

914. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Governments of Madhya Pradesh, Gujarat and some other States have been persistent in their demand for implementing the 1988 resolution for upgrading and augmenting the Central Road Fund and enhancing the devolution for the States for this Fund for maintenance and development of roads;

(b) whether the matter was also pressed through the National Development Council, if so, what is the Central Government's response thereto; and

(c) what was the demand made by the State Governments and the amount sanctioned under Central Road Fund during 1992-93, 1993-94, 1994-95 and so far in the current year?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. RAJASEKARA MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. The matter is under the consideration of the Government.

(c) The State Governments have been demanding for sanction of amounts as per the revised Resolution. However, the amounts are being sanctioned only as per the old Resolution. The amounts sanctioned out of CRF to the States during 1992-93, 1993-94 and 1994-95 are in the Statement. (*See* below) No amounts have been sanctioned so far during 1995-96.

Statement

The details of CRF sanctioned to States during 1992-93, 1993-94 and 1994-95

(Rs. in lakhs)

S.No.	Names of States	Amount of CRF sanctioned during		
		1992-93	1993-94	1994-95
1.	Andhra Pradesh	33.00	50.00	600.00
2.	Arunachal Pradesh	Nil	Nil	Nil
3.	Assam	60.00	40.00	42.00
4.	Bihar	100.00	40.00	166.00
5.	Chandigarh	Nil	Nil	Nil
6.	Delhi	12.00	100.00	835.00
7.	Goa	1.00	5.00	55.00
8.	Gujarat	70.00	80.00	239.00
9.	Haryana	39.00	35.00	250.00
10.	Himachal Pradesh	Nil	15.00	35.00
11.	Jammu & Kashmir	50.00	15.00	50.00
12.	Karnataka	80.00	50.00	288.00
13.	Kerala	20.00	55.00	104.00
14.	Madhya Pradesh	50.00	45.00	236.00
15.	Maharashtra	100.00	110.00	1100.00
16.	Manipur	Nil	10.00	Nil